308

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्र. क्र.: R 3862-2016 सन् – 2016

श्रीमती राजकुमारी साहू आयु 39 वर्ष
पत्नि श्री महादेव प्रसाद साहू
निवासी–बैनीगंज मुहल्ला, छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) .... निगरानीकर्ता

बनाम

महाराज सिंह ठाकुर तनय श्री चन्दन सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम–ललोनी, तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) ....उत्तरवादी

15-11-16

515
15-11-16

15-11-16

निगरानी अंतर्गत धारा –50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 29.04.2016 प्रकरण क्र.–24/अ–3/15–16 न्यायालय तहसीलदार महोदय छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित प्रार्थना करती है –

1. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा भूमि खसरा नम्बर 68 स्थित ग्राम बगौता पटवारी हल्का नम्बर 37 में से 20 आरे भूमि जो बाद में खसरा नम्बर 68/3 हुआ जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.10.1995 को भोपाल सिंह तनय राजधर सिंह निवासी ग्राम ललोनी तहसील व जिला छतरपुर से क्रय की थी एवं उक्त दिनांक को ही मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। तदानुसार निगरानीकर्ता अपने स्वत्व व आधिपत्य के उक्त प्लाट पर काबिज है निगरानीकर्ता के प्लाट की चौहद्दी निम्नानुसार है– पूरब में छतरपुर सागर रोड, पश्चिम में भूमि हिरवा चमार, उत्तर में भूमि बाबू बढ़ई, दक्षिण में भूमि टरिया साहम स्थित है एवं राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि निगरानीकर्ता के नाम स्वत्व व आधिपत्यधारी की हैसियत से दर्ज है।

2. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त प्लाट क्रय किये जाने के पश्चात् निगरानीकर्ता ने अपने स्वत्व व आधिपत्य के उक्त प्लाट के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार महोदय छतरपुर द्वारा प्रकरण क्र.–91/अ–12/1996–97 दर्ज किया जाकर निगरानीकर्ता के स्वत्व व आधिपत्य के उक्त प्लाट के सीमाकंन पश्चात् आदेश दिनांक 04.08.1997 पारित किया

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–3862–एक / 2016 जिला–छतरपुर

श्रीमती राजकुमारी साहू विरूद्ध महाराज सिंह ठाकुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 24 / अ–3 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29–04–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	